

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE
GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

.....

New Delhi, dated 1-10-1983.

NOTIFICATION
INCOME-TAX

No. 5413 (F.No.251/5/83): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in succession of all the earlier orders, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column (1) of the Schedule below shall perform their functions in respect of such persons assessed to income-tax or sur-tax or Interest Tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column (2) and column (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961, in sub-section (1) of section 11 of Companies (profits) Sur-tax Act 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of section 15 of the Interest Tax Act 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

Charges with H. No.	Income-tax Wards, Circles and Districts	Ranges of IACs
(1)	(2)	(3)
Commissioner of Income-tax (Appeals), Calicut.	1. I.T.Circle, Trichur 2. I.T.Circle, Palghat 3. I.T.Circle-I, Calicut 4. I.T.Circle-II, Calicut 5. I.T.Circle, Cannanore 6. I.T.Circle, Kasargod 7. I.T.Circle, Alwaye 8. Central Circle, Calicut 9. Central Circle, Ernakulam 10. Central Circle, Trivandrum 11. Special Circle, Ernakulam	I.A.C., Calicut Range. I.A.C., (Central), Ernakulam I.A.C., Ernakulam Range
Commissioner of Income-tax (Appeals), Ernakulam.	1. I.T.Circle, Ernakulam 2. Companies Circle, Ernakulam 3. I.T.Circle, Mattancherry 4. Salary Circle, Ernakulam	I.A.C., Ernakulam Range

4603/881722

1/10

1/10

Mr. R.L.

(1)	(2)	(3)
5. I.T.Circle, Trivandrum		
6. Salary Circle, Trivandrum		
7. I.T.Circle, Alleppey		
8. I.T.Circle, Kottayam		
9. I.T.Circle, Thiruvalla		
10. I.T.Circle, Mullen		
11. Survey Circle, Ernakulam		
		I.A.C. Ernakulam I.A.C. Trivandrum Range
		I.A.C. Ernakulam Range

2. Whereas the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Charge to another Charge, and, as a result arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax of the Charge from whom the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this Notification take effect be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax of the Charge to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-9-1983

(K.M. SULTAN)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes

~ To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:-

1. The Commissioner of Income-tax, Cachin
2. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay
3. G.O. I (No. 29) (Bulletin) New Delhi
4. Ad. VI Section/C.D. Section
5. The Joint Secretary & Legal Adviser, Ministry of Law, Sashtri Bhawan, New Delhi.

(K.M. SULTAN)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes,

**भारत सरकार
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**

नई दिल्ली, दिनांक 1-10-1983

**अधिसूचना
आयकर**

सं० 54/3 (सं० सं० 261/5/83) : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 क की उपधारा (1) द्वारा उद्धृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ववर्ती सभी आदेशों का अधिलक्षण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रों के आयकर आयुक्त (अपील), अनुसूची के स्तम्भ (2) तथा स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमंडल जिलों और रेंजों में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अपने कार्य करेंगे जिन पर आयकर अधिकार या ब्ययजकर लगाया गया हो और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ज) में, कंपनी (लाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 का 7 की धारा 11 की उपधारा (1) में और ब्ययजकर अधिनियम 1971 का 45 की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी आदेश से अतः हुए और ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तियों के वर्गों की भावत भी, कार्य करेंगे जिनके लिए बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबंधों अनुसार निर्देश दिया है या भविष्य में निर्देश दें।

अनुसूची

आयकर वार्ड, परिमंडल तथा जिला नि० सं० आ० की रेंज

अधिकार - क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय

आयकर आयुक्त (अपील)

अलीकट

1. आयकर परिमंडल, त्रिवार
2. आयकर परिमंडल, पालघाट
3. आयकर परिमंडल, 1, अलीकट

नि०

रेंज

(सं० 54/3)

4604/83/112
11/10

- 4- आयकर परिमंडल-1, कालीकट
- 5- आयकर परिमंडल कनानोर
- 6- आयकर परिमंडल कसर गोड
- 7- आयकर परिमंडल, आलवी
- 8- केन्द्रीय परिमंडल, कालीकट
- 9- केन्द्रीय परिमंडल, रणकुलम
- 10- केन्द्रीय परिमंडल, त्रिवेन्द्रम
- 11- विशेष परिमंडल, रणकुलम

नि०स०आ०, कालीकट
रेंज

नि०स०आ० (केन्द्रीय),
रणकुलम

नि०स०आ०, रणकुलम रेंज

आयकर आयुक्त
(अपील)
रणकुलम

- 1- आयकर परिमंडल, रणकुलम
- 2- कंपनी परिमंडल, रणकुलम
- 3- आयकर परिमंडल, मट्टनचेरी
- 4- वेल्त परिमंडल
- 5- आयकर परिमंडल, त्रिवेन्द्रम
- 6- वेल्त परिमंडल, त्रिवेन्द्रम
- 7- आयकर परिमंडल, अल्लेवी
- 8- आयकर परिमंडल, नैदटायम
- 9- आयकर परिमंडल, तिरुतल्लु
- 10- आयकर परिमंडल, त्रिवेल्लेन
- 11- सम्बंधित परिमंडल, रणकुलम

नि०स०आ०, रणकुलम
रेंज

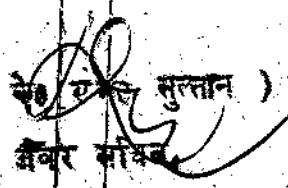
नि०स०आ०, त्रिवेन्द्रम
रेंज

नि०स०आ०, रणकुलम रेंज

2. जहां कोई आयकर परिमंडल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकारक्षेत्र से अन्य अधिकार क्षेत्र में अन्तर्गत कर दिया गया है, वहां आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना से तत्काल पूर्व उस अधिकारक्षेत्र के आयकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकारक्षेत्र से वह आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसकी कोई भाग अंतर्गत किया गया है, इस अधिसूचना के लागू होने की

तारीख से उस आयकर आयुक्त (अपील) के अधिकार - क्षेत्र को अंतरित की जाएगी और उसके द्वारा निपटायी जाएगी, जिसके अधिकार - क्षेत्र में उस, परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है।

यह अधिसूचना 1-9-19७३ से लागू होगी।

( सुल्तान)

जूनियर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नई दिल्ली-1